योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

01. मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना :

इस योजना के अंतर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समोच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में भूमि सुधार कार्य हेतु 18 डोजर मशीनें उपलब्ध हैं, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12000 घण्टे निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरों/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, पैडी–थ्रेसर एवं ट्रांसप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते है। वर्तमान में उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य में 33 ट्रैक्टर उपलब्ध है, जिनके लिए 16,500 घण्टे का लक्ष्य निर्धारित है।

02. उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं वितरण :

इस योजना के अंतर्गत कृषि विभागीय कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मुख्यतः हैण्ड हो, लो–लिफ्ट पंप, सायकल व्हील हो, पैडी ड्रम सीडर, लोहे का देशी हल, जिग–जैग पैडी पडलर आदि हैं। यंत्र निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री के क्रय हेतु रू. 5.00 लाख राशि का व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी. एकाउण्ट) कृषि यंत्री कर्मशाला रायपुर के नाम से चलाया जा रहा है, जो रिवाल्विंग फंड की तरह उपयोग होता है।

योजना के अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण कर अनुदान पर वितरण किया जाता है।

यंत्रों के अनुदान पर वितरण का कार्य, विभागीय कर्मशालाओं, के साथ ही छ.ग. मंडी बोर्ड (एग्रो सेल), छ.ग. विपणन संघ तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी विभागीय योजनाओं में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न आधुनिक यंत्रों/उपकरणों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने एवं उन्हे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यंत्र जैसे जीरो टिलड्रिल लो–लिफ्ट पंप, पैडी थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि का व्यापक प्रदर्शन भी किया जाता है।

03 यील्ड टेस्टिंग कार्य :

नलकूपों पर अनुदान की योजनांतर्गत नलकूपों को सफल/असफल घोषित करने के लिए इनके यील्ड टेस्टिंग का कार्य इस योजना में किया जाता है। इस कार्य हेतु 8 मशीनें उपलब्ध है।

04 विभागीय मशीनों तथा वाहनों का मरम्मत कार्य :

विभागीय कर्मशालाओं जैसे रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विभागीय मशीनों तथा विभागीय वाहनों के मरम्मत का कार्य किया जाता है।

05 केन्द्र पोषित मैक्रोमैनेजमेन्ट वर्किंग प्लान के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना :

यह योजना छ.ग. राज्य में वर्ष 2000–01 से चालू की गयी है। वर्ष 2001–02 में 30 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर, पावर टिलर, हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित कृषि उपकरणों का अनुदान पर वितरण किया गया है। वर्ष 2002–03 से 30 हार्स पावर तक के स्थान पर 35 हार्स पावर तक के ट्रैक्टरों पर अनुदान दिया जा रहा है।

06 उन्नत कृषि यंत्रों/उपरकणों के जीवंत प्रदर्शन की केन्द्र क्षेत्रीय योजना :

यह योजना वर्ष 2002–03 से स्वीकृत हुयी हैं इसमें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से उन्नत कृषि यंत्र/उपकरण क्रय किये जाकर कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जीवंत प्रदर्शन किये जाते है। अब तक इस योजना में स्वचलित रीपर, जीरो टिलेज सीडड्रिल क्रय किये गये हैं जबकि अन्य आधुनिक उपकरण जैसे शुगरकेन कटर प्लांटर, ट्रैक्टर चलित रीपर ,डिस्क हैरो डिस्क प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, टेरेसर ब्लेड, डिस्क टाईप बंड फारमर आदि क्रय किये जा रहे है।

विभागीय कार्य की दरें तथा योजनाओं में दिये जा रहे अनुदान के विवरण क्रमशः निम्नानुसार है।

प्रदेश में आबंटित मशीनों एवं निर्धारित किराए की दर निम्नानुसार है–

क्र.	मशीनों का विवरण	दर–रूपये प्रति घण्टा	
		कृषि कार्य	अकृषि कार्य
1	2	4	5
1.	डोजर डी–6	560.00	610.00
2.	डोजर डी–50	570.00	620.00
3.	डोजर डी–4	350.00	410.00
4.	यील्ड टेस्टिंग मशीन (06 घंटे)	182.00	-
5.(i)	व्हील टाईप ट्रैक्टर 40 HP	125.00	-
(ii)	व्हील टाईप ट्रैक्टर 40 HP से अधिक के	170.00	-
6.	पावर टिलर	35.00	-
7.	रोटावेटर 40 HP ट्रैक्टर के साथ	125.00	-
8.	प्लाऊ, कल्टीवेटर, सीडड्रिल 40 HP ट्रैक्टर के साथ	125.00	-
9.	पानी पंप ट्रैक्टर चलित	125.00	-
10.	रीपर मशीन (स्वचलित)	100.00	-
11.	पैडी ट्रांसप्लांटर	750.00 प्रति हे.	-
12.	सन फ्लावर थ्रेसर	200.00 प्रति घंटा	-
13.	रिजर 40 HP ट्रैक्टर के साथ	125.00 प्रति घंटा	-
14.	पैडी थ्रेसर	250.00 प्रति घंटा	-

रिमार्क : यह दरें वर्ष 2000 से प्रभावशील हैं जिन में शीघ्र ही वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

अनुदान संबंधी विवरण

केन्द्र शासन के निर्देशों के अनुरूप मैक्रोमैनेजमेन्ट अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना में निम्नानुसार अनुदान देय है :–

1. बैल चलित यंत्र – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **3000**/–)
2. हस्त चलित कृषि यंत्र/ हार्टिकल्चर टूल्स – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **2000**/–)
3. सभी प्रकार के शक्ति चलित थ्रेसर – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **15000**/–)
4. शक्ति चलित यंत्र – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **10000**/–)
5. स्वचलित रीपर/पैडी ट्रान्सप्लांटर – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **50000**/–)
6. विशेष शक्तिचलित यंत्र जैसे–सुगरकेन–कटर–प्लान्टर/रोटावेटर/स्ट्रारीपर/स्ट्रिप–टिल–ड्रिल/ट्रैक्टर चलित रीपर/पोटेटो प्लांटर – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **30000**/–)
7. 35 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **30000**/–)

   (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मेक एवं मॉडल अनुसार)
8. पावर टिलर 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के – कीमत का 25%, (अधिकतम सीमा रू. **30000**/–)

   (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मेक एवं मॉडल अनुसार)

विशेष –

छ.ग. शासन के निर्णय अनुसार वर्ष 2004–05 से हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण केन्द्र शासन की ISOPOM योजनांतर्गत 50% अनुदान पर किया जावेगा।